

न्यायालय सहजीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जसिये रिपोर्ट पटवारी हल्का डेरोली बनाम दकना Sloरेवडा मीना मोतीका नंगाला


प्रकरण अर्तगत धारा 91 धारा 91

प्रकरण संख्या - RA/91


निर्णय दिनांक :- 31-12-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि याम डेरोली (मोतीका नंगाला) की आ.ख.न. 338 रकबा 0.14 किरम जमीन गोण्डु रास्ता में 0.01 एकड़ पर की दकना Sloरेवडा मीना पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर पत्रका सैफाल्य काका कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का डेरोली द्वारा दिनांक 9/11/18 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मग ताईव भू.अ.निरी. तौरकर के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अतिक्रमी दकना Sloरेवडा जाति मीना निवासी मोतीका नंगाला भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी दकना

उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। उक्त रकबा आ.ख.न. 338/0.14 रकबा 0.01 में से दकना मोतीका नंगाला से जो नियमन के योग्य नहीं है मिहाजा तौरसायम को अतिक्रमित रकबा से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं चरख स्वरूप लगान 6 Paise का 60 गुणा 31-ती रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु संभारण को लिखा जावे, पैनल्टी कपूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी डेरोली भू.अ.निरी. तौरकर को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहजीलदार
न्यायालय
कठूमर, अलवर (राज.) 3100

प्रतिभाषित - प. ए.

दा. सं. सं 4 क पठ सं 78 कम सं 3
बं 2018-19 राजस्व पटवारी सं 31
की कायमी की गई

111316
सहजीलदार न्यायालय
कठूमर अलवर